

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-465

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

हस्तांतरित कोयले का उपयोग

\*465. श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) केन्द्रों में हस्तांतरित कोयले के उपयोग हेतु कार्यविधि को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि घरेलू कोयले के उपयोग में और अधिक दक्षता लाई जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उनके मंत्रालय ने शुष्क ईंधन के बदले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में नए नियम बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या नए नियमों के अनुसार विद्युत पारेषण ठप्प होने या ग्रिड में कोई बाध आने के कारण विद्युत के वितरण कार्यक्रम के संबंध में रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर/स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा लगाया गया कोई प्रतिबंध एक अप्रत्याशित स्थिति मानी जाएगी जिसके लिए किसी भी पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"हस्तांतरित कोयले का उपयोग" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 465 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को "विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन" लाने के लिए 4 मई, 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस व्यवस्था के अंतर्गत कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित पांच मामलों की परिकल्पना की गई है:

मामला-1: राज्यों में उनके अपने उत्पादन स्टेशनों में एकत्रित कोयले का उपयोग।

मामला-2: अन्य राज्यों की यूटिलिटीयों के उत्पादन स्टेशनों में एक राज्य में एकत्रित कोयले का उपयोग।

मामला-3: केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों में राज्य में एकत्रित कोयले का उपयोग एवं इसके विपरीत।

मामला-4: निजी उत्पादन स्टेशनों (आईपीपी) में किसी भी राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनी द्वारा कोयले का उपयोग।

मामला-5: केंद्रीय उत्पादन कंपनी को सौंपे गए कोयले का उनके अपने संयंत्रों में या किन्हीं अन्य अधिक दक्ष संयंत्रों में उपयोग।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पणधारकों के परामर्श से राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के उत्पादन स्टेशनों में कोयले के अंतरण के लिए दिनांक 8.6.2016 को प्रक्रिया जारी की थी।

"विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन" के मामला-4 के अंतर्गत, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) उत्पादन स्टेशनों को राज्य द्वारा अंतरित कोयले के उपयोग की प्रक्रिया विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.2.2017 को जारी कर दी गई है।

इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य अपने कोयले का मार्ग-परिवर्तन कर सकते हैं और ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कर रहे आईपीपी से चयनित आईपीपी उत्पादन स्टेशनों से समतुल्य विद्युत ले सकते हैं। इस प्रक्रिया का मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि राज्य की परिधि में आईपीपी उत्पादन स्टेशन से विद्युत की पहुंच लागत इस राज्य उत्पादन स्टेशन के उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से कम होनी चाहिए जिसकी विद्युत को आईपीपी से उत्पादन के स्थान पर लाया जाना हो। विद्युत की पहुंच लागत में पारेषण प्रभार तथा पारेषण हानियां शामिल होती हैं। कोयले का स्रोत, कोयले की मात्रा, कोयले की गुणवत्ता, विद्युत की मात्रा, वह अवधि जिसके लिए विद्युत अपेक्षित है, विद्युत की प्राप्ति के लिए सुपुर्दगी बिंदु, का राज्य द्वारा पहले से उल्लेख किया जाना है।

(ग) : इस प्रक्रिया के अनुसार, पारेषण/ग्रिड अवरोध की खराबी के कारण विद्युत के निर्धारण में क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध को किसी भी पक्ष की ओर से किसी दायित्व के बिना अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के रूप में माना जाएगा और संविदागत विद्युत को पारेषण अवरोध की अवधि के लिए कम किया गया माना जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-466

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाएं

\*466. डॉ. सत्यपाल सिंह:

श्री संजय धोत्रे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की स्थिति के अनुसार, देश भर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ऐसी अनेक परियोजनाएं वित्तीय अवरोधों और अन्य कारणों से रुकी पड़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूर्ण होने की संभावना है;
- (ग) निर्माण में विलंब के कारण इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा लागत में हो रही इस बढ़ोत्तरी को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा;
- (घ) उक्त परियोजनाओं के निर्माण में विलंब के कारण देश भर में विद्युत उत्पादन में कितना घाटा हुआ है; और
- (ङ) देशभर में जल विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 466 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : 30 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 11928.5 मेगावाट की 43 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : इन 43 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में से, कुल 5163 मेगावाट की 16 परियोजनाएं वित्तीय बाधाओं तथा अन्य कारणों से स्थगित हैं/रूकी हुई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने की संभावित तिथि सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : स्थगित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की लागत वृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। लागत वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए विकासकर्ताओं द्वारा इक्विटी की व्यवस्था की जा रही है और विकासकर्ताओं द्वारा ऋण/वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से ऋण जुटाया जाता है।

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई गणना के अनुसार, इन रूकी हुई परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन की वार्षिक हानि लगभग 15564 एमयू है।

(ङ) : इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बार-बार स्थल दौरे करके तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करके निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने तथा उनके समाधान के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें करता है।
- कठिनाइयों वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य शेष मुद्दों का तेजी से समाधान सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्वतंत्र रूप से जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का अनुवर्तन एवं मॉनीटरिंग करता है।
- अपेक्षित होने पर मामले सकारात्मक शासन व्यवस्था तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए, प्रगति में भी उठाए जाते हैं

- सीपीएसयू के मामले में संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता-ज्ञापन में परियोजना कार्यान्वयन के मानदंड/लक्ष्य शामिल किए जाते हैं और उनकी मॉनीटरिंग सीपीएसयू की त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा बैठकों तथा विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में आयोजित अन्य बैठकों के दौरान की जाती है।
- इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्करों के स्थापन एवं आपूर्ति से संबंधित मुद्दे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/विद्युत मंत्रालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में शीघ्रता से निपटाए जाते हैं तथा कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य स्थानीय मुद्दे संबंधित सीपीएसयू/विद्युत मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं।

भारत सरकार मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए पणधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार की मध्यस्थता से सिक्किम में तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) के कार्य, जोकि सितंबर, 2014 से रुके हुए थे, अक्टूबर, 2015 में पुनः शुरू कर दिए गए और यह परियोजना फरवरी/मार्च, 2017 में चालू कर दी गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य-वार**

(30.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षणता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की नवीनतम अनुसूची
	<b>आंध्र प्रदेश</b>				
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	12x80	960.00	2021-22 ##
	<b>उप-जोड़: आंध्र प्रदेश</b>			<b>960.00</b>	
	<b>अरुणाचल प्रदेश</b>				
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2017-18
3	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00	2017-18
4	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2020-21 *
5	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00	2020-21 *
	<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>			<b>2854.00</b>	
	<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
6	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2018-19
7	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2017-18
8	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2018-19
9	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00	2017-18
10	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2019-20
11	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2019-20
12	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2017-18 *
13	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2018-19 *
14	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00	2018-19 *
15	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	12.00	2017-18
	<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>			<b>1997.00</b>	
	<b>जम्मू व कश्मीर</b>				
16	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	2017-18
17	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50	2020-21
18	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00	2020-21 *
19	रत्ने (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2021-22 *
	<b>उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर</b>			<b>1265.50</b>	
	<b>केरल</b>				
20	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2019-20 *
21	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2019-20 *
	<b>उप-जोड़: केरल</b>			<b>100.00</b>	
	<b>मध्य प्रदेश</b>				

22	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2017-19 *
उप-जोड़: मध्य प्रदेश				400.00	
महाराष्ट्र					
23	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00	2019-20 *
उप-जोड़: महाराष्ट्र				80.00	
मेघालय					
24	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00	2017-18
उप-जोड़: मेघालय				40.00	
मिजोरम					
25	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00	2017-18
उप-जोड़: मिजोरम				60.00	
पंजाब					
26	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2019-20 *
उप-जोड़: पंजाब				206.00	
सिक्किम					
27	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2019-20
28	दिक्चू (स्नेह काइनेटिक)	निजी	2x48	96.00	2017-18
29	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2019-20 *
30	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2019-20 #
31	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2019-20
32	ताशिडिंग (शीघा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00	2017-18
33	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00	2021-22 *
34	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2020-21 *
उप-जोड़: सिक्किम				1326.00	
तेलंगाना					
35	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	4x30	90.00	2017-18
उप-जोड़: तेलंगाना				90.00	
उत्तराखंड					
36	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2021-22 *
37	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2019-20
38	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2019-20
39	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2019-20
40	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00	2018-19
41	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2019-20 #
42	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00	2019-20 #
उप-जोड़: उत्तराखंड				2430.00	
पश्चिम बंगाल					
43	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2020-21
उप-जोड़: पश्चिम बंगाल				120.00	
कुल:				11928.50	

\* कार्य के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन

# कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्यक्षीन

## ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने के अध्यक्षीन

\*\*\*\*\*

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं**

(30.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	रुकने के कारण	चालू करने की संभावित तिथि
<b>अरुणाचल प्रदेश/असम</b>				
1	सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मेगावाट	केंद्रीय	-बांध की सुरक्षा और बांध के अनुप्रवाही प्रभावों पर विभिन्न सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने पर, दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। - मामला माननीय एनजीटी, कोलकाता बेंच में।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>				
2	गोंगरी दिरांग एनर्जी प्रा.लि. 2x72=144 मे.वा.	निजी	प्रवर्तक/ऋणदाताओं से वित्त प्रवाह समस्या के कारण अप्रैल, 2016 के द्वितीय सप्ताह से कार्य रुका। कार्य जुलाई, 2016 में पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु अक्टूबर, 2016 से वित्त संबंधी बाधाएं अभी भी हैं।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 3½ वर्ष
<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
3	टंगनु रोमई टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2x22=44 मेगावाट	निजी	विकासकर्ता ने सूचित किया है कि मुख्य सुरंग में बहुत खराब भू-स्थिति होने के कारण परियोजना को कठिनाई हुई जिससे परियोजना विलंबित हुई तथा लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य जनवरी, 2015 से रुका।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष
4	टिडोंग-I एनएसएल टिडोंग पावर जेनरेशन लि. 2x50=100 मेगावाट	निजी	विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य जुलाई, 2016 से रुका हुआ है।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 1½ वर्ष
5	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर लि. 2x50=100 मेगावाट	निजी	जब यूनिट-2 का परीक्षण चालन हो रहा था, तब सरफेस पेनस्टॉक पाइप में दरार होने के कारण दिनांक 18.11.2015 से कार्य रुका हुआ है।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 1 वर्ष
<b>जम्मू व कश्मीर</b>				
6	लोअर कलनई जेकेएसपीडीसी 2x24=48 मेगावाट	राज्य	संविदाकर्ता के साथ वित्तीय मामलों के कारण कार्य रोक दिए गए हैं। संविदाकर्ता मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि. सीडीआर (संविदा ऋण पुनर्संरचना) के अधीन है।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष
7	रत्ले जीवीके रत्ले हाइड्रो	निजी	दिनांक 11 जुलाई, 2014 से कोई प्रगति नहीं हुई (आरएंडआर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून एवं व्यवस्था	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 5 वर्ष

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	रुकने के कारण	चालू करने की संभावित तिथि
	इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 4x205+1x30=850 मेगावाट		संबंधी समस्या, सिंधु जल संधि इत्यादि)	
<b>केरल</b>				
8	थोटियार केएसईबी 1x30+1x10=40 मेगावाट	निजी	- कार्य नवंबर, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉर्पोरेटिव सोसायटी जैसी सरकारी से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः अनुरोध किया जाए।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष
9	पल्लीवसल केएसईबी 2x30=60 मेगावाट	राज्य	- कार्य जनवरी, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉर्पोरेटिव सोसायटी जैसी सरकारी से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः अनुरोध किया जाए।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष
<b>महाराष्ट्र</b>				
10	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार 2x40=80 मेगावाट	राज्य	- परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी। परियोजना पर वर्तमान व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर पर पहुँच चुका है, अतः परियोजना पर व्यय रोक दिया गया है तथा परियोजना कार्य बहुत ही धीमी गति पर चल रहा है। संशोधित लागत पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष
<b>मध्य प्रदेश</b>				
11	महेश्वर श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मेगावाट	निजी	विकासकर्ता से नकद प्रवाह की समस्या के कारण कार्य नवंबर, 2011 से लंबित।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 1½ वर्ष
<b>पंजाब</b>				
12	शाहपुरकंदी सिंचाई विभाग, पंजाब और पीएसपीसीएल	राज्य	- पंजाब एवं जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच के अंतरराज्य विवादों के कारण दिनांक 30.08.2014 को बांध का (जेएंडके की तरफ) कार्य रुका।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	रुकने के कारण	चालू करने की संभावित तिथि
	3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट			
	<b>सिक्किम</b>			
13	तीस्ता-VI लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मेगावाट	निजी	अप्रैल, 2014 से लगभग कोई प्रगति नहीं हुई (वित्त संबंधी बाधाएं)	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 3 वर्ष
14	रंगित-IV जल पावर कारपो. लि. (जेपीसीएल) 3x40= 120 मेगावाट	निजी	विकासकर्ता से वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य अक्टूबर, 2013 से रुका।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 2½ वर्ष
15	पनन हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. 4x75 = 300 मेगावाट	निजी	माननीय एनजीटी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रमुख सिविल कार्य अप्रैल, 2014 से प्रारंभ नहीं हो सके।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4½ वर्ष
	<b>उत्तराखंड</b>			
16	लता तपोवन, एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मेगावाट	केंद्रीय	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया।	कार्य पुनः आरंभ करने के पश्चात् 4 वर्ष

कुल = 16 परियोजनाएं (5163 मेगावाट)

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

"जल विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**निर्माणाधीन रुकी हुई/बाधित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (25 मेगावाट से अधिक)**

**लगा समय/लागत आधिक्य**

(30.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	मूल लागत (रु. करोड़ में)	पूरा होने की अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>अरुणाचल प्रदेश/असम</b>								
1	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	केंद्रीय	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	6285.33 (12/02)	17435.15 (02/16)
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>								
2	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी प्रा. लि.	निजी	1 2	72 72	2017-18 2017-18	2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	1436.27	1535.91 (10/16)
<b>हिमाचल प्रदेश</b>								
3	टंगनु रोमई-1 (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	निजी	1 2	22 22	2014-15 2014-15	2018-19 2018-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	255.00 (2006)	562.97
4	टिडोंग-1 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग	निजी	1 2	50 50	2013-14 2013-14	2018-19 2018-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	543.15 (08/05)	1286.27
5	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	निजी	1 2	50 50	2012-13 2012-13	2017-18 2017-18	586.00 (2006)	586.00 (संशोधनाधीन)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	मूल लागत (रु. करोड़ में)	पूरा होने की अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	<b>जम्मू व कश्मीर</b>							
6	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	राज्य	1 2	24 24	2017-18 2017-18	2020-21 2020-21	576.87	576.87
7	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	निजी	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	5517.02	6257.00 (09/2013)
	<b>केरल</b>							
8	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	राज्य	1 2	30 10	2012-13 2012-13	2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	136.79 (2007)	150.02
9	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	राज्य	1 2	30 30	2010-11 2010-11	2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	222.00 (1999)	284.69 (2007)
	<b>महाराष्ट्र</b>							
10	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	राज्य	1 2	40	2017-18	2019-20 (कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्यक्षीन)	245.02	1494.94
	<b>मध्य प्रदेश</b>							
11	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	निजी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02	2017-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	1569.27 (96-97)	6793.00
	<b>पंजाब</b>							

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	मूल लागत (रु. करोड़ में)	पूरा होने की अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
12	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	राज्य	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	2285.81	2285.81
	<b>सिक्किम</b>							
13	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	निजी	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	3283.08	7542.00
14	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	निजी	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12	2019-20 2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	726.17	1692.60
15	पनन 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	निजी	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्यक्षीन)	1833.05	2021.90
	<b>उत्तराखंड</b>							
16	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	केंद्रीय	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18 (अग., 17)	2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	1527.00	1801.07
				<b>कुल</b>			<b>27027.83</b>	<b>52306.20</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-476

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण क्षेत्र के लिए बोली

\*476. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

कुमारी सुष्मिता देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार और राज्यक्षेत्र की कंपनियों द्वारा देश भर में विद्युत पारेषण क्षेत्र के लिए आमंत्रित की जा रही बोलियों में भाग लेने के लिए अनेक चीनी कंपनियां तैयार हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार व राज्यक्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा आमंत्रित बोलियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार तथा राज्यक्षेत्र की विद्युत कंपनियों ने विद्युत पारेषण क्षेत्र के लिए विदेशी कंपनियों से किस आधार पर बोली आमंत्रित की है;
- (घ) क्या देश के विद्युत पारेषण क्षेत्र में विदेशी कंपनियों, विशेषकर चीनी कंपनियों के प्रवेश को लेकर स्वदेशी व्यापार निकायों/विनिर्माता संघों ने चिंता जताई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व तथ्य क्या हो और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत पारेषण क्षेत्र के लिए बोली" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 476 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : जी, हाँ। देश में विभिन्न अंतर राज्यीय पारेषण स्कीमों के विकास के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयकों (बीपीसी) (आरईसीटीपीसीएल तथा पीएफसीसीएल) द्वारा आमंत्रित बोलियों में चीनी कंपनियां अथवा उनकी सहायक कंपनियां भाग ले रही हैं।

(ख) : विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बोलियों में चीन की भागीदारी के ब्यौरे सहित अंतर राज्यीय पारेषण स्कीमों के लिए आमंत्रित की गई बोलियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : बीपीसी द्वारा आयोजित की गई बोली प्रक्रियाएं "पारेषण सेवा हेतु प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली दिशा-निर्देशों", "पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धी को प्रोत्साहन देने के लिए दिशा-निर्देशों ("दिशा-निर्देश")" तथा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवाओं के प्रापण हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचित मानक बोली दस्तावेजों पर आधारित होती हैं। सरकार द्वारा आरईसीटीपीसीएल तथा पीएफसीसीएल को बीपीसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

पारेषण सेवा हेतु प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली दिशा-निर्देशों के प्रावधान 9.2 के अनुसार बोली प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली (आईसीबी) के द्वारा होगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान नीति के अनुसार, विद्युत क्षेत्र में 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। तदनुसार, कोई भी विदेशी विद्युत कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोलियों में भाग ले सकती है तथा एफडीआई मार्ग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बीपीसी द्वारा आईसीबी मार्ग के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) : जी, हाँ। स्वदेशी व्यापार निकायों/विनिर्माता संघों ने देश के विद्युत पारेषण क्षेत्र में विदेशी कंपनियों, विशेषकर चीन की कंपनियों, के प्रवेश पर चिंता व्यक्त की है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत पारेषण क्षेत्र के लिए बोली" के बारे में लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वित्तीय वर्ष	बीपीसी	पारेषण परियोजना का नाम	भागीदार चीनी कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का नाम	चीनी कंपनी को अवाई की गई परियोजना?
2013-14	आरईसीटीपीसीएल	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना, एनआरएसएस-XXIX	शून्य	उपलब्ध नहीं
		उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली, एनआरएसएस-XXXI (भाग-क)	शून्य	उपलब्ध नहीं
		उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली, एनआरएसएस-XXXI (भाग-ख)	शून्य	उपलब्ध नहीं
2014-15	पीएफसीसीएल	टाण्डा एक्सपेंशन टीपीएस (2x660 मेगावाट) के लिए एटीएस	शून्य	उपलब्ध नहीं
		पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आईपीपी के लिए प्रणाली सुदृढीकरण और अन्य उत्पादन परियोजनाएं	शून्य	उपलब्ध नहीं
		सिपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण	शून्य	उपलब्ध नहीं
		छत्तीसगढ़ आईपीपी के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण - भाग ख	शून्य	उपलब्ध नहीं
	आरईसीटीपीसीएल	विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	सीएलपी इंडिया प्रा. लिमिटेड	नहीं
		एनटीपीसी (भाग-क) गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	सीएलपी इंडिया प्रा. लिमिटेड	नहीं
		एनटीपीसी (भाग-ख) गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	सीएलपी इंडिया प्रा. लिमिटेड	नहीं
		महेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग एस/एस के लिए कनेक्टिविटी लाइन	सीएलपी इंडिया प्रा. लिमिटेड	नहीं
2015-16	पीएफसीसीएल	ओडिशा में चरण-II उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली तथा ओडिशा में ओपीजीसी (1320 मेगावाट) के लिए तत्काल निकासी प्रणाली	शून्य	उपलब्ध नहीं
		दक्षिणी क्षेत्र अर्थात् वरोरा-वारंगल और चिल्कालुरीपेटा-हैदराबाद-कुर्नूल 765 केवी लिंक में आयात हेतु अतिरिक्त अंतर-क्षेत्रीय एसी लिंक	शून्य	उपलब्ध नहीं
		आईएसटीएस के भाग के रूप में गुरुग्राम और पलवल क्षेत्र में नये 400 केवी जीआईएस सबस्टेशनों का निर्माण	शून्य	उपलब्ध नहीं
		पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढीकरण प्रणाली (एनईआरएसएस)-VI	शून्य	उपलब्ध नहीं
	आरईसीटीपीसीएल	वेमागिरी से आगे पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	शून्य	उपलब्ध नहीं
		भूटान में नए एचईपी से विद्युत के ट्रांसफर के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	शून्य	उपलब्ध नहीं
		धनबाद-जेयूएसएनएल (ईआरएसएस-XIX) के प्रस्ताव पर 400/220 केवी के सृजन सहित एनटीपीसी की उत्तरी कर्णपुरा (3X660 मेगावाट) के लिए शीघ्र निकासी हेतु पारेषण प्रणाली	शून्य	उपलब्ध नहीं
		बाबई (आरआरवीपीएनएल) में सीकर-नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन के एलआईएलओ सहित उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस-XXXVI) में प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम	शून्य	उपलब्ध नहीं

वित्तीय वर्ष	बीपीसी	पारेषण परियोजना का नाम	भागीदार चीनी कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का नाम	चीनी कंपनी को अवार्ड की गई परियोजना?
		एनईआर प्रणाली सुदृढीकरण के लिए पारेषण प्रणाली-II (भाग-ख) और V	शून्य	उपलब्ध नहीं
		खरगोन टीपीपी (1320 मेगावाट) के साथ संबद्ध डब्ल्यूआर में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	शून्य	उपलब्ध नहीं
		अरुणाचल प्रदेश में फेज-I की उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली	शून्य	उपलब्ध नहीं
016-17	पीएफसीसीएल	पूर्वी क्षेत्र में 765 केवी प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम (ईआरएसएस-XVIII)	शून्य	उपलब्ध नहीं
		राजगढ़ (तमनार) पूल में पूल की गई उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए अतिरिक्त 400 केवी गोवा को फीड और अतिरिक्त प्रणाली	शून्य	उपलब्ध नहीं
		शांगटोंग करछम एचईपी से एचपीपीसीएल 450 मेगावाट की कनेक्टिविटी और दीर्घावधिक पहुँच (एलटीए)	शून्य	उपलब्ध नहीं
		फतेहगढ़, जिला जैसलमेर, राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	सीएलपी इंडिया प्रा. लि. और सीएसजीआई (चाइना साउदर्न पावरग्रिड इंटरनेशनल) का संघ	बोली के अधीन
2016-17	आरईसीटीपीसीएल	न्यू डब्ल्यूआर-एनआर अंतर्देशीय कॉरीडोर	सीएलपी इंडिया प्रा. लि. और चीन साउदर्न पावरग्रिड इंटरनेशनल (एचके) कं. लि. का संघ	बोली के अधीन
		पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XXI (ईआरएसएस-XXI)	सीएलपी इंडिया प्रा. लि. और चीन साउदर्न पावरग्रिड इंटरनेशनल (एचके) कं. लि. का संघ	बोली के अधीन

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5291

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

टरबाइनों की ऑनलाइन खरीद

5291. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत संयंत्र हेतु टरबाइनों की ऑनलाइन खरीद की अनुमति देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे प्रत्येक खरीद पर कम से कम 10 प्रतिशत की बचत होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी यदि ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन केंद्र स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षण कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहमति हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं। इसलिए, विद्युत संयंत्र टरबाइनों की खरीद के लिए विद्युत संयंत्रों के विकासकर्ता द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में सरकार से कोई प्रतिबंध/शर्त नहीं है। तथापि, प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाए जाने की जरूरत है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5305

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

भावी परियोजनाओं के लिए नकदी

5305. श्री सी. महेंद्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने नकदी बढ़ाने तथा देश में कोयले की अदला-बदली संभव बनाने के लिए हाल ही में कोई योजना घोषित की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विनियमन परिवर्तन करने पर विचार कर रही थी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी विद्युत ग्रिड अपनी कुछ प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों का विपणन कर भावी परियोजनाओं हेतु नकदी का प्रयोग कर सके; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय द्वारा नकदी जुटाने के लिए किसी स्कीम की घोषणा नहीं की गई है। तथापि, मंत्रिमंडल ने दिनांक 4 मई, 2016 को "विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन" के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सभी पणधारियों के परामर्श से राज्य/केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के उत्पादन स्टेशनों के बीच कोयले के हस्तांतरण के लिए दिनांक 08.06.2016 को पद्धति जारी की थी। राज्य/केन्द्रीय उत्पादन कंपनियां सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए अपने दक्ष विद्युत संयंत्रों तथा अन्य राज्य/केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के विद्युत संयंत्रों के बीच लचीले तरीके से अपने ताप विद्युत संयंत्रों की व्यक्तिगत वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को जोड़ने के पश्चात अपने एकत्रित कोयले का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) उत्पादन स्टेशनों में किसी राज्य द्वारा हस्तांतरित कोयले के उपयोग के लिए दिनांक 20.02.2017 को पद्धति जारी की थी। पद्धति के अनुसार, राज्य अपने कोयले को भेज सकते हैं तथा ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से चयनित आईपीपी उत्पादन स्टेशनों से बराबर की विद्युत ले सकते हैं। प्रक्रिया का मार्ग-निर्देशक सिद्धांत यह है कि राज्य के क्षेत्र में आईपीपी के उत्पादन स्टेशन से विद्युत की पहुंच लागत राज्य उत्पादन स्टेशन जिसकी विद्युत को आईपीपी के उत्पादन द्वारा बदला जाना है, के उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से कम होनी चाहिए। विद्युत की पहुंच लागत में पारेषण शुल्क तथा पारेषण हानियां शामिल हैं।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : उपरोक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5313

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

5313. श्री जनक राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांव के विद्युतीकरण की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार के आकलन के अनुसार देश में लगभग अठारह हजार गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गांव में उन परिवारों का प्रतिशत क्या है जिनको विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है और सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार एक विद्युतीकृत गांव में कितने घंटों के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है और विद्युत उपयोग इत्यादि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन कतिपय मानकों को शामिल करने का है जिनको एक विद्युतीकृत गांव की परिभाषा में स्पष्ट नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गांव को विद्युतीकृत सूचित किया जाता है, यदि:

1. आधारभूत ढांचे जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें बसी हुई स्थानीय आबादी के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों की बसी हुई स्थानीय आबादी/पुरवों जहां वे विद्यमान हैं, उपलब्ध कराई गई हैं,
2. सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घरों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामूहिक केंद्रों आदि को विद्युत उपलब्ध कराई गई है, तथा
3. विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव के कुल घरों की संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 तक देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे; दिनांक 31.03.2017 तक इनमें से 13,123 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के कार्य को एक मिशन के रूप में लिया जा रहा है तथा इसे 1 मई, 2018 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) : ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार, गांव को विद्युतीकृत गांव के रूप में घोषित करने के लिए गांव में कुल 10% घर विद्युतीकृत किए जाने चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा में न्यूनतम विद्युत आपूर्ति का मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार ने राज्यों के सहयोग से सभी के लिए 24x7 विद्युत प्रदान करने के लिए संयुक्त पहल की है जिसका ध्येय चरणबद्ध तरीके से शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिन-रात लगातार विद्युत की आपूर्ति करने तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त घंटे आपूर्ति उपलब्ध कराना है।

(घ) : राज्यों द्वारा गांव को विद्युतीकृत सूचित किया जाता है, यदि वह उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करता है। तथापि, एक ही गांव के विभिन्न वासस्थलों में अवसंरचना के स्तर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इस मानदण्ड को बदलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5327

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को कोयले की आपूर्ति

5327. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने भुगतान नहीं किए गए बिलों के कारणों से विद्युत वितरण कंपनियों को आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी विद्युत वितरण कंपनियां कौन सी हैं, जिन्हें वर्तमान में एनटीपीसी से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत की आपूर्ति बन्द किए जाने के तुरंत बाद एनटीपीसी बकाया राशि को वसूल कर पाने में समर्थ रही थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने 74.72 करोड़ रुपये की बकाया राशि के कारण मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) को विद्युत आपूर्ति नियंत्रित कर दी है और नियंत्रण 03.03.2017 से प्रभावी हैं।

(ग) : एनटीपीसी से विद्युत प्राप्त करने वाले डिस्कॉमों की सूची अनुबंध में दी गई है।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5327 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एनटीपीसी से विद्युत प्राप्त करने वाले डिस्कॉमों की सूची

- 1) एपी इस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.
- 2) एपी साउदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.
- 3) तेलंगाना नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.
- 4) तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.
- 5) बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
- 6) मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
- 7) चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लि., मैसूर
- 8) गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
- 9) हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
- 10) केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लि.
- 11) तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि.
- 12) इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पुडुच्चेरी
- 13) ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
- 14) इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गोवा
- 15) मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कं. लि.
- 16) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि.
- 17) महाराष्ट्र स्टेट एनर्जी डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि.
- 18) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि.
- 19) गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट
- 20) दमन एंड दीव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट
- 21) दादर एंड नगर हवेली पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि.
- 22) बीएसईएस राजधानी पावर लि.
- 23) बीएसईएस यमुना पावर लि.
- 24) न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल
- 25) मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज
- 26) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि.
- 27) इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, चंडीगढ़
- 28) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
- 29) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
- 30) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
- 31) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.
- 32) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

- 33) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 34) नॉर्थ सेंट्रल रेलवे
- 35) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू एवं कश्मीर
- 36) पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.
- 37) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
- 38) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
- 39) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन क.लि.
- 40) नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
- 41) वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
- 42) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
- 43) डिपार्टमेंट ऑफ पावर, सिक्किम
- 44) असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं.लि.
- 45) डिपार्टमेंट ऑफ पावर, अरुणाचल प्रदेश
- 46) मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड
- 47) डिपार्टमेंट ऑफ पावर, नागालैंड
- 48) त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड
- 49) डिपार्टमेंट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिजोरम
- 50) मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि.
- 51) दामोदर वैली कारपोरेशन

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5340

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

झारखंड में गांवों का विद्युतीकरण

5340. श्री प्रहलाद जोशी:

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड सहित राज्य-वार उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण किया गया है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान 14528 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड सहित विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

(ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राज्य-वार संस्वीकृत परियोजना लागत तथा संवितरित निधियां अनुबंध-॥ में दी गई हैं।

(ग) और (घ) : ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रभावी निगरानी के लिए जिला, राज्य तथा केंद्रीय स्तरों पर एक तंत्र तैयार किया गया है। डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं की जिला स्तर पर वरिष्ठतम माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति नामतः दिशा (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित) तथा राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की स्थाई समितियों (एसएलएससी) के जरिए राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी निगरानी समिति द्वारा भी समीक्षा की जाती है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5340 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या**

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान विद्युतीकृत गांव
1	आंध्र प्रदेश	-
2	अरुणाचल प्रदेश	456
3	असम	2,350
4	बिहार	2,651
5	छत्तीसगढ़	766
6	गुजरात	-
7	हरियाणा	-
8	हिमाचल प्रदेश	36
9	जम्मू व कश्मीर	41
10	झारखंड	2,015
11	कर्नाटक	14
12	केरल	-
13	मध्य प्रदेश	459
14	महाराष्ट्र	-
15	मणिपुर	388
16	मेघालय	725
17	मिजोरम	85
18	नागालैंड	86
19	ओडिशा	2,369
20	पंजाब	-
21	राजस्थान	496
22	सिक्किम	-
23	तमिलनाडु	-
24	तेलंगाना	-
25	त्रिपुरा	26
26	उत्तर प्रदेश	1,526
27	उत्तराखंड	22
28	पश्चिम बंगाल	17
	सकल योग	14,528

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5340 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17) के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजना लागत और संवितरित निधियों का ब्यौरा			
28.02.2017 की स्थिति के अनुसार			
क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	संवितरित निधि (रुपए करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	944.17	126.52
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20.96	-
3	अरुणाचल प्रदेश	426.52	144.67
4	असम	1,568.91	759.78
5	बिहार	5,856.36	3,448.64
6	छत्तीसगढ़	1,532.68	467.29
7	दादरा व नागर हवेली	5.00	-
8	गोवा	20.00	-
9	गुजरात	924.72	101.16
10	हरियाणा	316.38	-
11	हिमाचल प्रदेश	159.12	28.35
12	जम्मू व कश्मीर	619.67	-
13	झारखंड	3,918.29	322.38
14	कर्नाटक	1,754.92	98.55
15	केरल	485.37	91.73
16	मध्य प्रदेश	2,946.22	1,019.80
17	महाराष्ट्र	2,174.97	112.91
18	मणिपुर	54.96	94.70
19	मेघालय	302.24	8.50
20	मिजोरम	30.43	19.57
21	नागालैंड	84.56	55.48
22	ओडिशा	1,751.53	1,223.44
23	पुडुचेरी	20.15	-
24	पंजाब	252.06	-
25	राजस्थान	2,819.41	476.42
26	सिक्किम	49.70	-
27	तेलंगाना	462.30	82.62
28	तमिलनाडु	924.12	32.10
29	त्रिपुरा	74.12	134.14
30	उत्तर प्रदेश	6,946.40	3,007.49
31	उत्तराखंड	845.30	72.70
32	पश्चिम बंगाल	4,262.10	511.94

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5345

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

यूएमपीपी

5345. श्री नाना पटोले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत आपूर्ति सुधारने के लिए 12 अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र (यूएमपीपी) स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत संयंत्रों की समय-सीमा और उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अमरीका और यूरोपीय देशों से काफी पीछे है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार वर्ष 2019 तक देशभर में सभी के लिए सस्ती एलईडी (उजाला) द्वारा राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम-उन्नत ज्योति कार्यान्वित करती है/करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विकासकर्ताओं को चार यूएमपीपी अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखण्ड में तिलैया पहले ही अवार्ड और हस्तांतरित कर दी गई हैं। अवार्ड किए गए चार यूएमपीपी में से दो यूएमपीपी अर्थात् मुंद्रा यूएमपीपी और सासन यूएमपीपी प्रचालन में हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-1 में दी गई है।

विद्यमान और प्रस्तावित यूएमपीपी प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। परियोजना के विकासकर्ता द्वारा यूएमपीपी के लिए निधि की व्यवस्था की जाती है जिसका चयन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानक बोली दस्तावेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम से किया जाता है।

अन्य यूएमपीपी की स्थिति विकास के विभिन्न चरणों में है, जो **अनुबंध-II** में दी गई है।

सफल बोलीकर्ताओं को परियोजना के अवाई किए जाने के 4-5 वर्षों के भीतर यूएमपीपी चालू कर दी जाएगी।

**(घ) और (ङ) :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015 के दौरान CO<sub>2</sub> उत्सर्जन निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	देश	वर्ष : 2015
		मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	5414
2	यूरोपीय देश (फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, इटली, स्पेन और तुर्की)	2891
3	भारत	2274

**(च) और (छ) :** जी, हाँ। 05 जनवरी, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च, 2019 तक 77 करोड़ तापदीप्त (इंकंडेसेंट) बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलने के लक्ष्य से घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए सभी के लिए वहनीय एलईडी (उजाला) के द्वारा राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम, उन्नत ज्योति शुरू की है। आज की तिथि के अनुसार 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22.44 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5345 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	सासन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।
2	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29 जनवरी, 2008 को अवार्ड तथा अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर कार्य रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	तिलैया गाँव के निकट, जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07.08.2009 को अवार्ड और अंतरित की गई। विकासकर्ता (झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि.) ने दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार की समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5345 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**अन्य चिह्नित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थिति**

क्रम सं.	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
<b>ओडिशा</b>			
1	बेडाबहल, ओडिशा	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने तथा इंफ्रा एसपीवी को कोल ब्लॉक आबंटन के बाद नई बोली जारी की जाएगी।
2	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल चिह्नित किया गया है।
3	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल चिह्नित किया गया है। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2016 के पत्र के तहत ओडिशा सरकार का यह निर्णय मांगा है कि वे यूएमपीपी स्थापित करने के इच्छुक हैं या नहीं। उत्तर प्रतीक्षित है।
<b>तमिलनाडु</b>			
4	चेय्यूर यूएमपीपी	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद नई बोली जारी की जाएगी।
5	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए ने दिनांक 22.01.2015 के पत्र द्वारा टेनजेडको से अनुरोध किया है कि वह तमिलनाडु में द्वितीय यूएमपीपी की स्थापना के वैकल्पिक स्थल चिह्नित करे।
<b>झारखण्ड</b>			
6	देवघर (झारखंड का दूसरा) यूएमपीपी	हुसैनाबाद, देवघर जिला	ऑपरेटिंग स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात देवघर मेगा पावर लि. तथा अवसरचना एसपीवी अर्थात देवघर इंफ्रा लिमिटेड को क्रमशः दिनांक 26.04.2012 तथा दिनांक 30.06.2015 को निगमित किया गया।  विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.02.2016 को कोयला मंत्रालय से, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) वाले उपयुक्त कोयला ब्लॉक चिह्नित करने का अनुरोध किया है।
<b>गुजरात</b>			
7	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	---	दिनांक 12.01.2016 को सीईए तथा पीएफसीसीएल की एक टीम ने यूएमपीपी की स्थापना की संभावनाओं की तलाश करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा चिह्नित गिर सोमनाथ जिले में स्थल का दौरा किया। स्थल को अंतिम रूप देने के

			<p>लिए 03.11.2016 को एक बैठक आयोजित की गई थी।</p> <p>तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 06.10.2016 के पत्र के तहत गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि क्या गुजरात सरकार यूएमपीपी को जारी रखने में इच्छुक है।</p>
<b>कर्नाटक</b>			
8	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निडोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	<p>सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुका के निडोडी गाँव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई है और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।</p> <p>तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2016 के पत्र के तहत कर्नाटक सरकार का यह निर्णय मांगा है कि वे यूएमपीपी स्थापित करने के इच्छुक हैं या नहीं। उत्तर प्रतीक्षित है।</p>
<b>महाराष्ट्र</b>			
9	महाराष्ट्र	----	स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परियोजना को अभी बंद दिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2016, 15.11.2016 और 04.01.2017 के पत्रों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से औपचारिक पुष्टि मांगी है। उत्तर प्रतीक्षित है।
<b>बिहार</b>			
10	बिहार	बांका जिले में ककवारा	अवसंरचना स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड तथा ऑपरेटिंग एसपीवी अर्थात बिहार मेगा पावर लिमिटेड क्रमशः दिनांक 30.06.2015 तथा दिनांक 09.07.2015 को निगमित किए गए। कोयला मंत्रालय ने पीरपैती/बराहट कोयला ब्लॉकों की अनंतिम सिफारिश कर दी है।
<b>उत्तर प्रदेश</b>			
11	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	एटा	दिनांक 21.07.2015 को सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधान सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी के लिए एटा की पहचान की गई

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5347

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का द्वितीय चरण

5347. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण-II (गर्व-II) नामक एक विद्युत आपूर्ति निगरानी प्रणाली तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का दूसरा चरण शुरू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) घरों में विद्युत आपूर्ति के उद्देश्यों को हासिल करने में यह गर्व-II निगरानी प्रणाली किस प्रकार सरकार के लिए मददगार साबित होगी; और
- (घ) व्यापक विद्युतीकरण, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति पहुंचाने, मीटर लगाने एवं बिजली सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में गांवों और घरों के विद्युतीकरण की निगरानी के लिए गर्व (जीएआरवी) एप को अपग्रेड किया गया है।

(ख) : भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ (i) ग्रामीण विद्युतीकरण, (ii) घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करना, (iii) फीडर पृथक्करण, (iv) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण और (v) मीटरिंग के उद्देश्य से दिसंबर, 2014 में देश में 43,033 करोड़ रूपए के कुल निवेश से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की है।

(ग) : गर्व में वासस्थलों के साथ-साथ घरों की विद्युतीकरण की निगरानी शामिल है। इसमें फीडबैक के लिए एक इंटरएक्टिव प्लेटफार्म की व्यवस्था है और यह विद्युतीकरण कार्यों को शीघ्र निपटाने में सहायक होगा।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए 42553.17 करोड़ रूपए की राशि की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण, घरों को पहुंच, फीडर पृथक्करण, मीटरिंग और प्रणाली सुदृढीकरण शामिल है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5348

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

टीएचडीसी में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी

5348. डॉ. उदित राज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में करियर संवर्धन योजना के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी गई है;
- (ख) यदि हां, तो दी गई छूट का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) विभागीय परीक्षा के माध्यम से पर्यवेक्षक संवर्ग में कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है;
- (घ) विभागीय परीक्षा के पश्चात् पर्यवेक्षक संवर्ग में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और अनारक्षित श्रेणी के कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है; और
- (ङ) क्या पर्यवेक्षक संवर्ग स्तर में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी आई है और यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : कर्मचारियों का करियर संवर्धन अकुशल, अकुशल से कुशल तथा कुशल से पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षक से कार्यपालक श्रेणी के लिए कामगारों के उन्नयन हेतु टीएचडीसीआईएल की पदोन्नति नीति द्वारा शासित किया जाता है। पदोन्नति नीति में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में पर्यवेक्षक संवर्ग के लिए पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षाओं में 5% अंकों की छूट का प्रावधान है। अब तक, किसी भी अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार को कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों का, छूट के लिए आवश्यकता के बिना, कुशल श्रेणी से पर्यवेक्षक श्रेणी में उन्नयन किया गया है।

(ग) से (ङ) : 2016-17 के दौरान विभागीय परीक्षा के जरिए तीन कामगार (दो सामान्य तथा एक अ.जा. श्रेणी) पर्यवेक्षक संवर्ग में पदोन्नत किए गए थे। विभागीय परीक्षा के जरिए पर्यवेक्षक श्रेणी में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में कोई कमी नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5365

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण में लगी कंपनियां

5365. श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन कंपनियों को ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सौंपा है;

(ख) क्या इन विद्युत कंपनियों ने उक्त कार्य छोटे-मोटे ठेकेदारों को सौंप दिया है तथा उक्त कार्य में विलंब हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत चार राज्य विद्युत यूटिलिटीयों अर्थात् पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य सौंपे गए हैं।

विद्युतीकरण कार्यों का निष्पादन इन विद्युत कंपनियों द्वारा कई एजेंसियों/संविदाकारों को अवाई किया गया है। जब भी संविदाकार का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, कार्यान्वयन एजेंसी संविदाकार के साथ करार की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दंड/निर्णीत हर्जाना लगाती हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5386

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण संबंधी हानियां

5386. श्री के.एन. रामचन्द्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विकसित देशों द्वारा विद्युत के पारेषण और वितरण के संबंध में कोई मानक तय किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विकसित देशों की तुलना में देश में पारेषण और वितरण की राज्य-वार कितनी हानि हुई है;
- (ग) क्या पारेषण और वितरण हानियों के जिम्मेदार कारकों का आकलन किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन हानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसमें कितनी सफलता मिली है; और
- (ङ) क्या सरकार का विचार विशेषकर चोरी तथा हानियों को कम करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों का आधुनिकीकरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पारेषण तथा वितरण (टीएंडडी) हानियों के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए कोई मानक नहीं है। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में टीएंडडी हानियों (गणना नहीं की गई ऊर्जा सहित) का राज्य-वार प्रतिशत अनुबंध में दिया गया है। उन्नत देशों की तुलना में, भारत में पारेषण एवं वितरण हानियां अधिक हैं। इसका कारण यह है कि कई वर्षों से उन्नयन नहीं किया गया है।

(ग) : समय तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों तथा टीएंडडी हानियों के लिए उत्तरदायी कारक मौजूदा लाइनों तथा उपकेंद्र उपस्कर पर अतिरिक्त भार, कम एचटी: एलटी लाइन अनुपात, उपस्कर की खराब मरम्मत एवं रख-रखाव; पर्याप्त कैपेसिटर्स/रिएक्टिव विद्युत उपस्कर की संस्थापना न होना, कम मीटरिंग/बिलिंग/कलेक्शन दक्षता, विद्युत की चोरी तथा छोटी चोरी एवं मीटरों के साथ छेड़खानी हैं।

(घ) और (ङ) : वितरण नेटवर्क में एटीएंडसी हानियों की कमी का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभाग/यूटिलिटीयों का होता है। तथापि, एटीएंडसी हानियों में कमी करने के लिए भारत सरकार ने एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) तथा उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5386 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्षेत्र		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16*
एनआर	1	हरियाणा	35.83	34.05	31.61
	2	हिमाचल प्रदेश	21.03	20.81	18.75
	3	जम्मू व कश्मीर	54.68	53.06	50.06
	4	पंजाब	20.67	18.45	18.55
	5	राजस्थान	26.92	27.51	29.13
	6	उत्तर प्रदेश	29.07	27.19	24.51
	7	उत्तराखंड	21.82	24.53	25.6
	8	चंडीगढ़	19.12	19.1	18.74
	9	दिल्ली	19.86	21.49	19.58
डब्ल्यूआर	1	गुजरात	18.11	19.28	19.1
	2	मध्य प्रदेश	31.47	32.26	28.61
	3	छत्तीसगढ़	28.38	29.21	30.78
	4	महाराष्ट्र	21.8	20.39	19.89
	5	दादरा व नागर हवेली	8.55	10.33	10.06
	6	गोवा	12.67	14.97	18.04
	7	दमन व दीव	13.77	29.63	31.85
एसआर	1	आंध्र प्रदेश	20.06	17.94	15.24
	2	तेलंगाना		15.72	16.1
	3	कर्नाटक	10.18	11.5	10.21
	4	केरल	14.99	15.4	10.78
	5	तमिलनाडु	10.84	11.07	10.13
	6	लक्षद्वीप	11.2	3.63	9.81
	7	पुडुचेरी	14.83	14.9	14.01
ईआर	1	बिहार	47.26	46.27	49.29
	2	झारखंड	13.06	17.2	16.99
	3	ओडिशा	38.86	41.96	39.1
	4	सिक्किम	23.11	24.97	26.52
	5	पश्चिम बंगाल	24.05	24.66	22.16
	6	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19.79	20.5	14.47
एनईआर	1	असम	31.08	27.57	25.2
	2	मणिपुर	38.51	40.95	44.45
	3	मेघालय	21.38	33.34	32.32
	4	नागालैंड	35.79	26.51	29.89
	5	त्रिपुरा	35.35	35.93	30.56
	6	अरुणाचल प्रदेश	46.3	46.24	50.6
	7	मिजोरम	41.54	42.05	36.11
अखिल भारत			22.84	22.77	21.81
* अनंतिम स्रोत: सीईए					

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5403

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

एलईडी स्ट्रीट लाइटों के संबंध में नगरपालिकाओं के साथ समझौता जापन

5403. श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्य-वार स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी लाइटों हेतु एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ संविदा करने वाली नगरपालिकाओं की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल कितनी स्ट्रीट लाइटें बदली गई हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइटों को बदलने हेतु ईईएसएल द्वारा शेष नगरपालिकाओं के साथ संविदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 03.04.2017 की स्थिति के अनुसार, 544 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने एलईडी स्ट्रीट लाइटों से स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ कार्यान्वयन संबंधी करार किया है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) : मार्च, 2019 तक 3.5 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने का लक्ष्य है। दिनांक 03.04.2017 की स्थिति के अनुसार, 19.67 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदला गया है। ईईएसएल स्ट्रीट लाइटों को बदलने में उत्प्रेरक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जबकि कई अन्य आपूर्तिकर्ता भी इस कार्य में लगे हुए हैं।

(ग) : ईईएसएल द्वारा शेष राज्यों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शामिल होने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भाग लेने का अनुरोध भी किया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5403 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएलएनपी के अंतर्गत नामांकित यूएलबी
1	आंध्र प्रदेश	111
2	असम	2
3	छत्तीसगढ़	11
4	दिल्ली	1
5	गोवा	1
6	गुजरात	130
7	हिमाचल प्रदेश	7
8	झारखंड	1
9	केरल	1
10	महाराष्ट्र	6
11	पंजाब	24
12	राजस्थान	187
13	तेलंगाना	35
14	त्रिपुरा	20
15	उत्तर प्रदेश	2
16	उत्तराखंड	5
	<b>कुल</b>	<b>544</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5410

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

प्रदूषण को कम करना

5410. योगी आदित्यनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए किसी विशेष योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : देश में संयंत्रों के परिसर में कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों की दक्षता को आधुनिक बनाने एवं सुधारने तथा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- (i) ताप विद्युत उत्पादन के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीकी पहले ही अपनाई जा चुकी है। सुपर क्रिटिकल यूनिटों की डिजाइन दक्षता टिपिकल 500 मेगावाट के सब-क्रिटिकल यूनिटों से लगभग 5% अधिक है और इन (सुपर क्रिटिकल) यूनिटों में समान रूप से कम ईंधन खपत तथा आस-पास की वायु में CO<sub>2</sub> उत्सर्जन की संभावना होती है। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 39710 मेगावाट विद्युत की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही हासिल की जा चुकी है और सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी की 48,060 मेगावाट क्षमता पाइप लाइन में है।
- (ii) सभी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक का प्रयोग करना अपेक्षित है।

- (iii) 13वीं योजना अवधि के दौरान कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से होगी।
- (iv) सुपर क्रिटिकल यूनिट पर लगभग 10% के लक्षित दक्षता सुधार के साथ अग्रिम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक (ए-यूएससी) के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान पर कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर), एनटीपीसी और भेल ने 310 किग्रा./सेमी<sup>2</sup> के मुख्य स्टीम दबाव तथा 710/720 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के साथ 800 मेगावाट ए-यूएससी स्वदेशी प्रदर्शन संयंत्र के विकास के लिए अगस्त, 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (v) लगभग 7751.94 मेगावाट की पुरानी और अकुशल यूनिट की क्षमता आज की तारीख तक पहले ही समाप्त हो चुकी है।
- (vi) पुरानी अकुशल कोयला आधारित थर्मल यूनिटों को सुपर क्रिटिकल यूनिटों के साथ बदलने के लिए राज्य यूटिलिटीयों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को सुविधाजनक बनाने हेतु कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने **नई (प्रस्तावित) सुपर क्रिटिकल यूनिटों को एलओए/कोयला लिंकेज (पुराने संयंत्रों को प्रदान किया गया) के स्वतः हस्तांतरण** की नीति तैयार की है।
- (vii) वर्द्धित ऊर्जा दक्षता संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) द्वारा कार्यान्वयनाधीन है। 154 ताप विद्युत स्टेशनों को पीएटी साइकल-II में, दक्षता सुधारने का व्यक्तिगत लक्ष्य सौंपा गया है।
- (viii) फ्लू गैसों से पार्टिकुलेट मैटर्स (फ्लाइ ऐश) पर कैप्चर करने के लिए उच्च दक्षता इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रीसेप्टर (ईएसपी) संस्थापित किए जाते हैं।
- (ix) फ्लू गैसों से NO<sub>x</sub> उत्सर्जन को कम करने के लिए कम NO<sub>x</sub> वाले बर्नर संस्थापित किए जाते हैं।
- (x) SO<sub>2</sub> उत्सर्जन पर नियंत्रण, भूमि के स्तर पर प्रदूषण वाली गैसों के संकेंद्रण को कम करने के लिए टाल स्टॉक (275 मीटर) के माध्यम से फ्लू गैसों के फैलाव के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5417

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

जनजातीय क्षेत्रों में गांवों का विद्युतीकरण

5417. श्री निशिकान्त दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों के गांवों सहित सभी अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दूर-दराज में स्थित ऐसे गांवों के विद्युतीकरण हेतु ऑफ-ग्रिड समाधान निकालने के लिए क्या कदम उठाए हैं जहां कि ग्रिड विस्तार न तो व्यवहार्य है और न ही लागत प्रभावी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1.4.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में, जनजातीय क्षेत्रों के गांवों सहित 18,452 गैर विद्युतीकृत गांव थे। इनमें से 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 13,123 गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। शेष गांवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) : डीडीजीजेवाई के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के उन गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराना है, जहां ग्रिड संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं या लागत प्रभावी नहीं है। अब तक दूर-दराज के क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए डीडीजी के अंतर्गत 4220 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, दिनांक 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार, 893 परियोजनाएं चालू हो गई हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5418

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

5418. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत ढाई वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इस ढाई वर्ष की अवधि के पूर्व के तीन वर्षों की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गत ढाई वर्षों के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के संबंध में हुई प्रगति और निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हाँ। राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले ढाई वर्षों के दौरान देश में गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	वित्त वर्ष 2014-15	1,900	1,405(73%)
2.	वित्त वर्ष 2015-16	5,686	7,108(125%)
3.	वित्त वर्ष 2016-17 (28.02.2017 तक)	8,360	5,256(63%)

पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	वित्त वर्ष 2011-12	14,500	7,285(50%)
2.	वित्त वर्ष 2012-13	6,000	2,587(43%)
3.	वित्त वर्ष 2013-14	3,300	1,197(36%)

(ग) : गुजरात सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में विद्युतीकरण के लिए कोई भी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव नहीं बचा है। तथापि, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिए 924.72 करोड़ रूपए की परियोजना लागत से अगस्त, 2015 में 33 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसमें विद्युत की पहुंच से नहीं जुड़े घरों को बिजली की पहुंच, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण (एसएजीवाई) उप पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण, फीडर पृथक्करण और मीटरिंग का प्रावधान शामिल है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5453

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों का आर एण्ड एम/एलई

5453. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पुरानी तथा अक्षम उत्पादन इकाइयों के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा सेवा विस्तार के संबंध में किसी कार्य की शुरुआत की है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आरंभ किए गए उक्त कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) निर्धारित समयावधि के पश्चात् उक्त लंबित कार्यों में से अपूर्ण कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस संबंध में किसी दोषी अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) तथा सेवा विस्तार कार्य संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा उनकी मांग पर निर्भर करते हुए किए जाते हैं। आर एंड एम तथा सेवा विस्तार कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन को बनाए रखना, इक्विपमेंट/सिस्टमों के अप्रचलन, कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण अपर्याप्तता, निर्धारित पर्यावरणात्मक शर्तों का अनुपालन तथा 25 वर्षों की डिजाइन किफायती सेवा के बाद सेवा विस्तार करना है।

(ख) और (ग) : पिछले 3 वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों में किए गए आर एंड एम तथा जीवनकाल विस्तार कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	यूनिट सं. (मेगावाट)	स्टेशन का नाम	यूटिलिटी	राज्य	शुरू करने की तारीख	वास्तविक/चालू होने की अनुमानित तिथि
1.	जीटी-1 (111.19)	औरैया जीटी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	15.05.2014	22.06.2014
2.	जीटी-1	गांधार	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	15.05.2014	06.07.2014

	(131)					
3.	जीटी-2ए (106)	कवास जीटी	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	24.06.2014	22.08.2014
4.	जीटी-2 (111.19)	औरैया	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	12.09.2014	28.10.2014
5.	जीटी-3 (111.19)	औरैया	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	10.11.2014	25.12.2014
6.	जीटी-4 (111.19)	औरैया	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	27.01.2015	02.03.2015
7.	जीटी-2 (131)	गांधार	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	25.02.2015	15.04.2015
8.	6 (210)	कोराडी टीपीएस	महाजेनको	महाराष्ट्र	25.08.2015	30.05.2017
9.	12 (200)	ओबरा टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश	01.10.2016	31.12.2017

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5476

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

स्मार्ट विद्युत ग्रिड प्रौद्योगिकी

5476. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार स्मार्ट विद्युत ग्रिड प्रौद्योगिकी में हैकिंग की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सावधानी बरती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा नेशनल क्रिटिकल इन्फार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेन्टर (एनसीआईआईपीसी) के माध्यम से साइबर खतरों के विरुद्ध विद्युत यूटिलिटियों तथा प्रमुख पणधारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के अनुरूप भारत सरकार ने विद्युत प्रणालियों में साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए सेक्टोरल कम्प्यूटर इमरजेंसी रिसपॉन्स टीम (सीईआरटी) का सृजन किया है। विद्युत यूटिलिटियों के साथ समन्वय हेतु कम्प्यूटर इमरजेंसी रिसपॉन्स टीम ट्रांसमिशन (सीईआरटी-पारेषण), सीईआरटी-उत्पादन, सीईआरटी-वितरण की स्थापना की गई है। स्मार्ट ग्रिड के संबंधित पणधारियों को महत्वपूर्ण अवसंरचना चिन्हित करने और आंकड़ा सुरक्षा के लिए अंतिम एन्क्रिप्शन के उपयोग करने की सलाह दी गई है।

सभी यूटिलिटियों से साइबर सुरक्षा से संबंधित सुदृढीकरण संगठनात्मक प्रणालियों की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नोडल वरिष्ठ कार्यपालक अभि-चिन्हित करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2008 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन करने के लिए कहा गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5480

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट

5480. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री धर्मन्द्र यादवः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत की मांग और आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एलजीबीआर को राज्यों/इकाइयों और केन्द्रीय/राज्य/निजी उत्पादन कंपनियों से विस्तृत चर्चा के पश्चात् अन्तिम रूप दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने 1.1 प्रतिशत के समग्र अधिशेष और अधिकतम मांग की स्थिति में 2.6 प्रतिशत के अधिशेष के साथ 1178 बिलियन यूनिट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या वर्ष 2016-17 के लिए एलजीबीआर में 16654.5 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या देश में अंतरराज्यीय और अंतः राज्यीय विद्युत पारेषण क्षमताओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। केन्द्र सरकार की ओर से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) प्रत्येक वर्ष भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट (एलजीबीआर) प्रस्तुत करता है, जोकि अगले वर्ष में देश में राज्य-वार संभावित विद्युत मांग और

आपूर्ति की स्थिति दर्शाता है। वर्ष 2016-17 के लिए एलजीबीआर का प्रकाशन 31 मई, 2016 को किया गया था।

(ख) : जी, हाँ। एलजीबीआर को क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसीज) के माध्यम से राज्यों/यूटिलिटियों तथा केंद्रीय/राज्य/निजी उत्पादन कंपनियों के साथ विस्तृत चर्चा के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाता है। विभिन्न विद्युत स्टेशनों के लिए उत्पादन लक्ष्यों का निर्णय उत्पादन कंपनियों के परामर्श से किया जाता है और विद्युत की मांग का निर्णय राज्यों/यूटिलिटियों के परामर्श से किया जाता है।

(ग) : जी, हाँ। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान 1,178 बिलियन यूनिट (बीयू) का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से उत्पादन के आधार पर वर्ष 2016-17 के लिए देश में उपलब्ध संभावित ऊर्जा 1228 बीयू थी जबकि संभावित ऊर्जा मांग 13 बीयू (1.1%) का संभावित ऊर्जा आधिक्य दर्शाते हुए 1,215 बीयू थी। इसी प्रकार से संभावित व्यस्ततम मांग तथा व्यस्ततम उपलब्धता 4,250 मेगावाट (2.6%) का संभावित व्यस्ततम आधिक्य दर्शाते हुए क्रमशः 165,253 मेगावाट तथा 169,503 मेगावाट थी।

(घ) : जी, हाँ। 16,654.5 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता पर वर्ष 2016-17 के लिए एलजीबीआर में विचार किया गया था। इसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ) : देश में विद्युत हस्तांतरण की अंतर-राज्यीय एवं अंतः-राज्यीय क्षमता देश में नई पारेषण लाइनों के निर्माण के साथ पर्याप्त रूप से बढ़ गई हैं। 12वीं योजना अवधि (फरवरी, 2017 तक) के दौरान, देश में 1,07,653 सर्किट किलोमीटर की अंतर-राज्यीय एवं अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली (220 केवी और इससे अधिक) जोड़ी गई थी।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5480 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली संभावित उत्पादन स्कीमें

स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने का समय
<b>धर्मल</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>			<b>2730.5 मेगावाट</b>	
नबीनगर टीपीपी	एनटीपीसी	2	250	जनवरी-17
मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	4	660	फरवरी-17
लारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	1	800	जनवरी-17
कांटी टीपीएस स्टे.-II	एनटीपीसी	4	195	सितंबर-16
कुडगी टीपीपी	एनटीपीसी	1	800	सितंबर-16
अगरतला गैस आधारित विद्युत परियोजना	नीपको	स्टे.-1	25.5	जून-16
<b>राज्य क्षेत्र</b>			<b>3910 मेगावाट</b>	
नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी-एसटी	100	सितंबर-16
बरौनी टीपीपी	बीएसईबी	8	250	दिसंबर-16
भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	1	250	जून-16
भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	2	250	नवंबर-16
येमारूस टीपीप	केपीसीएल	2	800	जुलाई-16
कोराडी टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	10	660	अक्टूबर-16
सिंगरेनी टीपीपी	एससीसीएल	2	600	जून-16
मारवा टीपीएस	सीएसपीजीसीएल	2	500	जून-16
सागरदीघी टीपीएस-II	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	4	500	नवंबर-16
<b>निजी क्षेत्र</b>			<b>6800 मेगावाट</b>	
नवपाड़ा टीपीपी	टीआरएन	1	300	मई-16
नवपाड़ा टीपीपी	टीआरएन	2	300	नवंबर-16
बारा टीपीपी	जेपी	2	660	जुलाई-16
उत्कल टीपीपी	इंड बराथ	2	350	नवंबर-16
उचपिंड टीपीपी	आरकेएम	3	360	जुलाई-16
आईटीपीसीएल टीपीपी	आईएलएफएस	2	600	मई-16
लैनको बाबंध टीपीपी	लैनको बाबंध	1	660	फरवरी-17
ललितपुर टीपीप	एलपीजीसीएल	3	660	4/1/2016(ए)
नासिक टीपीप, फेज-I	रतन पावर	2	270	जून-16
नासिक टीपीपी, फेज-I	रतन पावर	3	270	दिसंबर-16
एनसीसी टीपीपी	एनसीसी	1	660	जुलाई-16
एनसीसी टीपीपी	एनसीसी	2	660	दिसंबर-16

बिंजकोट टीपीपी	एसकेएस	1	300	नवंबर-16
एथेना सिंधितारी टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़	1	600	अक्टूबर-16
हल्दिया टीपीपी	इंडिया पावर	1	150	जुलाई-16
<b>कुल थर्मल (केंद्रीय + राज्य + निजी)</b>			<b>13440.5 मेगावाट</b>	
<b>हाइड्रो</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>			<b>490 मेगावाट</b>	
तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	3	40	जून-16
तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	4	40	सितंबर-16
कामेंग	नीपको	1	150	फरवरी-17
कामेंग	नीपको	2	150	मार्च-17
पारे	नीपको	1	55	दिसंबर-16
पारे	नीपको	2	55	जनवरी-17
<b>राज्य क्षेत्र</b>			<b>395 मेगावाट</b>	
नागार्जुन सागर टीआर	एपीजेनको	1	25	अगस्त-16
नागार्जुन सागर टीआर	एपीजेनको	2	25	अगस्त -16
कशांग-I	एचपीपीसीएल	1	65	मई-16
सायंज	एचपीपीसीएल	1	50	दिसंबर-16
सायंज	एचपीपीसीएल	2	50	जनवरी-17
लोअर जुराला	टीएसजेनको	5	40	सितंबर-16
लोअर जुराला	टीएसजेनको	6	40	नवंबर-16
पुलीचिताला	टीएसजेनको	1	30	अगस्त-16
पुलीचिताला	टीएसजेनको	2	30	दिसंबर-16
न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	1	20	नवंबर-16
न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	2	20	दिसंबर-16
<b>निजी क्षेत्र</b>			<b>829 मेगावाट</b>	
तीस्ता-III (*)	तीस्ता ऊर्जा लि. (*)	1	200	दिसंबर-16
तीस्ता-III (*)	तीस्ता ऊर्जा लि. (*)	2	200	जनवरी-17
तीस्ता-III (*)	तीस्ता ऊर्जा लि. (*)	3	200	फरवरी-17
छंजू-I	आईए एनर्जी	1	12	जुलाई-16
छंजू -I	आईए एनर्जी	2	12	सितंबर-16
छंजू -I	आईए एनर्जी	3	12	दिसंबर-16
दिक्चू (#)	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	1	32	जुलाई-16
दिक्चू (#)	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	2	32	अगस्त-16
दिक्चू (#)	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	3	32	सितंबर-16
ताशिडिंग (#)	शिगा एनर्जी प्रा.लि.	1	48.5	जनवरी-17
ताशिडिंग (#)	शिगा एनर्जी प्रा.लि.	2	48.5	फरवरी-17
<b>कुल हाइड्रो (केंद्रीय + राज्य + निजी)</b>			<b>1714 मेगावाट</b>	
<b>न्यूक्लियर</b>				
कुडनकुलम एनपीपी	एनपीसी	2	1000	जुलाई-16
पीएफबीआर कलपक्कम	भाविनि	1	500	फरवरी-17
<b>कुल न्यूक्लियर</b>			<b>1500 मेगावाट</b>	
<b>कुल (थर्मल + हाइड्रो + न्यूक्लियर)</b>			<b>16654.5 मेगावाट</b>	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5482

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों की जीवनावधि

5482. श्री सुधीर गुप्ता:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री गजानन कीर्तिकर:

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री टी. राधकृष्णन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कोयला चालित इकाइयों की जीवनावधि केवल 25 वर्ष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 56 जीडब्ल्यू की कुल क्षमता वाले 188 तापविद्युत संयंत्र जो कि 25 वर्ष पुराने हैं को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) देश में पुरानी और अक्षम इकाइयों को बदलने हेतु कुल कितनी निधियों की आवश्यकता है;
- (ङ) क्या पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को भी प्रदूषण मानकों का पालन करने पर और अधिक व्यय करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं में पुरानी और अक्षम इकाइयों को बदलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। कोयला प्रज्वलित यूनितों की सेवा, रेटेड क्षमता तथा स्टीम प्राचलों, स्टार्ट-अप्स, भार चक्र, प्रचालन एवं अनुरक्षण पद्धतियों, कोयले की गुणवत्ता आदि जैसी प्रचालन स्थितियों पर निर्भर करती है।

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, सेवाकाल मूल्यांकन किसी सम्भाव्य क्षति कारकों को चिन्हित करने के लिए 25 वर्षों के पश्चात किया जाता है। इसके पश्चात, शेष सेवाकाल के लिए जांच प्रत्येक पांच वर्ष पर की जाएगी।

**(ख) से (घ) :** जुलाई, 2016 में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के परामर्श से विभिन्न तकनीक आर्थिक प्राचलों के आधार पर सेवा समाप्ति के लिए सरकारी क्षेत्र में लगभग 9000 मेगावाट क्षमता के 25 वर्ष से अधिक पुराने कोयला आधारित संयंत्रों को चिन्हित किया था। इनमें से, 3750 मेगावाट की कुल क्षमता वाली कोयला आधारित यूनिट अब तक समाप्त की जा चुकी हैं। पुरानी और अदक्ष यूनिटों को बदलने के लिए निधियों की व्यवस्था विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा की जाती है।

**(ङ) :** निर्धारित पर्यावरण मापदण्डों को पूरा नहीं करने वाले संयंत्रों चाहे वे पुराने हो या नए, के लिए उत्सर्जन को निर्धारित सीमाओं के भीतर लाने के लिए अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों के उन्नयन/संस्थापना की आवश्यकता होगी।

**(च) :** अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं में सभी यूनिट नवीनतम सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी की हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5499  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्र

5499. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विद्युत कुशलता को प्रोत्साहित करने हेतु अपनाए जा रहे विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा पुराने अक्षम ताप विद्युत संयंत्रों के स्थान पर उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल सुपर महत्वपूर्ण विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु प्रयास किए जाने की संभावना है; और
- (ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे विभिन्न उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

- (i) ऊर्जा बचत के बारे में उपभोक्ता को सूचित विकल्प उपलब्ध करवाने तथा इसके द्वारा संबंधित बाजार उत्पाद की लागत बचत क्षमता उपलब्ध करवाने के लिए उपस्करों हेतु मानकीकरण एवं लेबलीकरण कार्यक्रम।
- (ii) निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित तथा निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित ऊर्जा सघन उद्योगों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों का निर्धारण।

- (iii) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) की तैयारी।
- (iv) बहुमंजिला आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के लिए डिजाइन संबंधी दिशा-निर्देश।
- (v) म्युनिसिपल, घरेलू, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उपक्रम (एसएमई) सेक्टरों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।
- (vi) सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) आधारित डीएसएम तथा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैम्पों को प्रोत्साहन।
- (vii) ऊर्जा दक्ष पंखों तथा कृषि पम्प सेटों को प्रोत्साहन।
- (viii) ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।

**(ख) और (ग) :** भारत ने 02.10.2016 को यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कंवेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत राष्ट्रीय रूप में निर्धारित योगदान (एनडीसी) में वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक 33% से 35% तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की हरित घरेलू गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए 2030 तक गैर-फॉसिल ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी इलेक्ट्रिक विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करने तथा 2030 तक अतिरिक्त वन तथा ट्री कवर के माध्यम से कार्बन डायऑक्साइड के बराबर के 2.5 से 3 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन किए जाने को सूचित किया है।

**(घ) और (ङ) :** थर्मल विद्युत संयंत्रों में सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) सुपर क्रिटिकल, प्रौद्योगिकी थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए पहले ही अपनाई जा रही है। सभी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के आधार पर 39710 मेगावाट की उत्पादन क्षमता पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। 48060 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत संयंत्रों की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है।
- (ii) अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी कुछ विद्युत स्टेशनों द्वारा भी अपनाई जा रही है। एनटीपीसी का खरगोन थर्मल विद्युत संयंत्र (2x660 मेगावाट), जोकि मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है।
- (iii) उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी (ए-यूएससी) के विकास के लिए देशी अनुसंधान भी किया जा रहा है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर), एनटीपीसी और भेल ने 800 मेगावाट के ए-यूएससी देशी प्रदर्शन संयंत्र के विकास के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (iv) अकुशल और पुराने थर्मल विद्युत संयंत्र चरणबद्ध रूप में बंद किए जा रहे हैं। लगभग 7751.94 मेगावाट की पुरानी थर्मल क्षमता पहले ही समाप्त कर दी गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5501  
जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्र

5501. श्री कोनाकल्ला नारायण रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है और इनकी क्षेत्र-वार क्षमता क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार देश विशेषतः बीदर और दादरी के क्षेत्रों में कोई नए ताप विद्युत संयंत्र आरंभ करने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु पूरी की जाने वाली अनिवार्य शर्तें क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 215214.88 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 270 ताप विद्युत संयंत्र (जिनमें 25 मेगावाट से कम की क्षमता वाले 7 विद्युत संयंत्र शामिल हैं) मौजूद हैं।

ताप विद्युत संयंत्रों की उनकी क्षमता सहित विस्तृत क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

(ख) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, विद्युत के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। देश में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक नहीं है तथा सीईए में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

तथापि, सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ड) : ताप विद्युत संयंत्र के विकासकर्ता को विभिन्न स्वीकृतियां जैसे भूमि, जल, पर्यावरण, ईंधन, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विद्युत क्रय करार इत्यादि की व्यवस्था करना अपेक्षित होता है।

यह परिकल्पना की गई है कि 13वीं योजना अवधि के दौरान तथा उसके बाद विद्युत उत्पादन के लिए सभी कोयला प्रज्ज्वलित क्षमता अभिवृद्धि सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सीईए द्वारा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र उपस्कर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर सभी केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों को एक परामर्शिका भी जारी की गई है। वे सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं के बायलरों एवं टरबाइन-जनरेटरों के लिए आमन्त्रित की जाने वाली बोलियों में चरणबद्ध घरेलू विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने की शर्त को शामिल कर सकते हैं। यह परामर्शिका जनवरी, 2020 तक वैध है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.5501 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

28.02.2017 की स्थिति के अनुसार थर्मल पावर प्लांट की क्षेत्र-वार संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	सेक्टर	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तरी	दिल्ली	केंद्रीय क्षेत्र	बदरपुर टीपीएस	705.00
2			निजी क्षेत्र	रिठाला सीसीपीपी	108.00
3			राज्य क्षेत्र	आई.पी. सीसीपीपी	270.00
4				प्रगति सीसीजीटी-III	1500.00
5				प्रगति सीसीपीपी	330.40
6				राजघाट टीपीएस	135.00
7		हरियाणा	केंद्रीय क्षेत्र	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59
8				इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500.00
9			निजी क्षेत्र	महात्मा गांधी टीपीएस	1320.00
10			राज्य क्षेत्र	पानीपत टीपीएस	920.00
11				राजीव गांधी टीपीएस	1200.00
12				यमुना नगर टीपीएस	600.00
13		जम्मू एवं कश्मीर	राज्य क्षेत्र	पम्पोर जीपीएस (द्रवित)	175.00
14		पंजाब	निजी क्षेत्र	गोइंदवाल साहिब	540.00
15				नाभन टीपीपी (राजपुरा टीपीपी)	1400.00
16				तलवंडी साबो टीपीपी	1980.00
17			राज्य क्षेत्र	जीएच टीपीएस (लेह मोहाली)	920.00
18				जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440.00
19				राइस स्ट्रा (जलखेड़ी)	10.00
20				रोपड़ टीपीएस	1260.00
21		राजस्थान	केंद्रीय क्षेत्र	अंटा सीसीपीपी	419.33
22				बरसिंगसर लिग्नाइट	250.00
23			निजी क्षेत्र	जलिपा कापुर्डी टीपीपी	1080.00
24				कवई टीपीएस	1320.00
25			राज्य क्षेत्र	छाबड़ा टीपीपी	1000.00
26				धौलपुर सीसीपीपी	330.00
27				गिराल टीपीएस	250.00
28				कालीसिंध टीपीएस	1200.00
29				कोटा टीपीएस	1240.00
30				रामगढ़ सीसीपीपी	273.80
31				सूरतगढ़ टीपीएस	1500.00
32		उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	औरैया सीसीपीपी	663.36
33				दादरी (एनसीटीपीपी)	1820.00
34				दादरी सीसीपीपी	829.78
35				रिहंद एसटीपीएस	3000.00
36				सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00
37				टांडा टीपीएस	440.00
38				ऊंचाहार टीपीएस	1050.00

39			निजी क्षेत्र	अनपारा सी टीपीएस	1200.00
40				बारखेड़ा टीपीएस	90.00
41				खंवारखेड़ा टीपीएस	90.00
42				कुंडकी टीपीएस	90.00
43				ललितपुर टीपीएस	1980.00
44				मकसूदपुर टीपीएस	90.00
45				प्रयागराज टीपीपी	1320.00
46				रोसा टीपीपी फेज-I	1200.00
47				उतरौला टीपीएस	90.00
48			निजी क्षेत्र	अनपारा टीपीएस	2630.00
49				हरदुआगंज टीपीएस	665.00
50				ओबरा टीपीएस	1278.00
51				पनकी टीपीएस	210.00
52				परीछा टीपीएस	1140.00
53		उत्तराखण्ड	निजी क्षेत्र	गामा सीसीपीपी	225.00
54				काशीपुर सीसीपीपी	225.00
55	पश्चिमी	छत्तीसगढ़	केंद्रीय क्षेत्र	भिलाई टीपीएस	500.00
56				कोरबा एसटीपीएस	2600.00
57				सीपत एसटीपीएस	2980.00
58			निजी क्षेत्र	अकलतारा टीपीएस	1200.00
59				अवंता भंडार	600.00
60				बालको टीपीएस	600.00
61				बंदाखार टीपीपी	300.00
62				बारादड़ा टीपीएस	1200.00
63				चकबुरा टीपीपी	30.00
64				कसाईपल्ली टीपीपी	270.00
65				कठघोड़ा टीपीपी	35.00
66				नवपाड़ा टीपीपी	300.00
67				ओपी ज़िंदल टीपीएस	1000.00
68				पथाडी टीपीपी	600.00
69				रायखेड़ा टीपीपी	1370.00
70				रतिजा टीपीएस	100.00
71				सलोरा टीपीपी	135.00
72				एसवीपीएल टीपीपी	63.00
73				स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25.00
74				तमनार टीपीपी	2400.00
75				उचपिंडा टीपीपी	720.00
76			राज्य क्षेत्र	डीएसपीएम टीपीएस	500.00
77				कोरबा-II	200.00
78				कोरबा-III	240.00
79				कोरबा-पश्चिम टीपीएस	1340.00
80				मारवा टीपीएस	1000.00
81		गोवा	निजी क्षेत्र	गोवा सीसीपीपी (द्वित)	48.00
82		गुजरात	केंद्रीय क्षेत्र	गांधार सीसीपीपी	657.39
83				कवास सीसीपीपी	656.20
84			निजी क्षेत्र	बड़ौदा सीसीपीपी	160.00
85				डीजेन मेगा सीसीपीपी	1200.00
86				एस्सार सीसीपीपी	515.00
87				मुंद्रा टीपीएस	4620.00
88				मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000.00

89				पेगुथान सीसीपीपी	655.00
90				साबरमती (सी स्टेशन)	60.00
91				साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362.00
92				सलाया टीपीपी	1200.00
93				सुजेन सीसीपीपी	1147.50
94				सूरत लिग्. टीपीएस	500.00
95				उनोसुजेन सीसीपीपी	382.50
96			राज्य क्षेत्र	अकरीमोटा लिग्. टीपीएस	250.00
97				भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	250.00
98				धुवरन सीसीपीपी	594.72
99				गांधीनगर टीपीएस	630.00
100				हजीरा सीसीपीपी	156.10
101				हजीरा सीसीपीपी एक्स.	351.00
102				कच्छ लिग्. टीपीएस	290.00
103				पीपावाव सीसीपीपी	702.00
104				सिक्का रेप्. टीपीएस	740.00
105				उकाई टीपीएस	1350.00
106				उतरन सीसीपीपी	518.00
107				वनकबोरी टीपीएस	1470.00
108	मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र		विंध्याचल एसटीपीएस	4760.00
109		निजी क्षेत्र		अनूपपुर टीपीपी	1200.00
110				बीना टीपीएस	500.00
111				महान टीपीपी	600.00
112				निगरी टीपीपी	1320.00
113				निवारी टीपीपी	45.00
114				सासन यूएमटीपीपी	3960.00
115				सिवनी टीपीपी	600.00
116			राज्य क्षेत्र	अमरकंटक एक्स टीपीएस	210.00
117				संजय गांधी टीपीएस	1340.00
118				सतपुड़ा टीपीएस	1330.00
119				श्री सिंघाजी टीपीपी	1200.00
120	महाराष्ट्र	केंद्रीय क्षेत्र		मौदा टीपीएस	1660.00
121				रतनगिरि सीसीपीपी ।	740.00
122				रतनगिरि सीसीपीपी II	740.00
123				रतनगिरि सीसीपीपी III	740.00
124			निजी क्षेत्र	अमरावती टीपीएस	1350.00
125				बेला टीपीएस	270.00
126				बूटीबोरी टीपीपी	600.00
127				दहानु टीपीएस	500.00
128				धारीवाल टीपीपी	600.00
129				एमको वरोरा टीपीएस	600.00
130				जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120.00
131				जेएसडब्ल्यू रतनगिरि टीपीप	1200.00
132				मनगांव सीसीपीपी	388.00
133				मिहान टीपीएस	246.00
134				नासिक (पी) टीपीएस	540.00
135				तिरोरा टीपीएस	3300.00
136				ट्राम्बे सीसीपीपी	180.00
137				ट्राम्बे टीपीएस	1250.00
138				वर्धा वरोरा टीपीपी	540.00

139			राज्य क्षेत्र	भुसावल टीपीएस	1420.00
140				चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920.00
141				खापरखेड़ा टीपीएस	1340.00
142				कोराडी टीपीएस	2600.00
143				नासिक टीपीएस	630.00
144				पारस टीपीएस	500.00
145				पार्ली टीपीएस	1170.00
146				उरन सीसीपीपी	672.00
147	दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	सिम्हाद्री	2000.00
148			निजी क्षेत्र	गौतमी सीसीपीपी	464.00
149				जीएमआर एनर्जी लि.-काकीनाडा	220.00
150				गोदावरी सीसीपीपी	208.00
151				जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	768.00
152				जेगुरुपादु सीसीपीपी फेज-II	220.00
153				कोनासीमा सीसीपीपी	445.00
154				कोंडापल्ली एक्स सीसीपीपी	366.00
155				कोंडापल्ली सीसीपीपी	350.00
156				कोंडापल्ली स्टे.-3 सीसीपीपी	742.00
157				एलवीएस पावर डीजी	36.80
158				पैनामपुरम टीपीपी	1320.00
159				पेड्डापूरम सीसीपीपी	220.00
160				एसजीपीएल टीपीपी	1320.00
161				सिम्हापुरी टीपीएस	600.00
162				थम्मिनापटनम टीपीएस	300.00
163				वेमागिरि सीसीपीपी	370.00
164				विज्जेश्वरम सीसीपीपी	272.00
165				विजाग टीपीपी	1040.00
166			राज्य क्षेत्र	दामोदरम संजीवैय्या टीपीएस	1600.00
167				डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1760.00
168				जेगुरुपादु सीसीपीपी फेज-I	235.40
169				रॉयलसीमा टीपीएस	1050.00
170		कर्नाटक	केंद्रीय क्षेत्र	कुडगी एसटीपीपी	800.00
171				बेल्लारी डीजी	25.20
172				तोरांगल्लु टीपीएस (एसबीयू-I)	260.00
173				तोरांगल्लु टीपीएस (एसबीयू-II)	600.00
174				उडुपी टीपीपी	1200.00
175			राज्य क्षेत्र	बेल्लारी टीपीएस	1700.00
176				रायचूर टीपीएस	1720.00
177				येलहाका (डीजी)	127.92
178				येरमारूस टीपीपी	800.00
179		केरल	केंद्रीय क्षेत्र	आर. गांधी सीसीपीपी (द्रवित)	359.58
180			निजी क्षेत्र	कोचीन सीसीपीपी (द्रवित)	174.00
181			राज्य क्षेत्र	ब्रह्मापुरम डीजी	63.96
182				कोझिकोड डीजी	96.00
183		पुडुच्चेरी	राज्य क्षेत्र	करैकाल सीसीपीपी	32.50
184		तमिलनाडु	केंद्रीय क्षेत्र	नेवेली (एक्स) टीपीएस	420.00
185				नेवेली टीपीएस-I	600.00
186				नेवेली टीपीएस-II	1470.00
187				नेवेली टीपीएस-II एक्स.	500.00

188				तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000.00
189				वल्लूर टीपीपी	1500.00
190			निजी क्षेत्र	बी. ब्रिज डी.जी.	200.00
191				आईटीपीसीएल टीपीपी	1200.00
192				करूपपुर सीसीपीपी	119.80
193				मुथियारा टीपीपी	1200.00
194				नेवेली टीपीएस (जेड)	250.00
195				पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.50
196				सामलपट्टी डीजी	105.70
197				समयनल्लूर डीजी	106.00
198				तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300.00
199				वलनतर्वी सीसीपीपी	52.80
200			राज्य क्षेत्र	बेसिन ब्रिज जीटी (द्रवित)	120.00
201				एन्नौर टीपीएस	340.00
202				कोविकलपाल सीसीपीपी	107.88
203				मेत्तूर टीपीएस	1440.00
204				नरिमनम जीपीएस	10.00
205				नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830.00
206				तूतीकोरिन टीपीएस	1050.00
207				वल्लूरु सीसीपीपी	186.20
208				टैनजेडको	100.00
209		तेलंगाना	केंद्रीय क्षेत्र	रामागुंडम एसटीपीएस	2600.00
210			राज्य क्षेत्र	काकतीय टीपीएस	1100.00
211				कोठागुंडम टीपीएस	720.00
212				कोठागुंडम टीपीएस (न्यू)	1000.00
213				रामागुंडम-बी टीपीएस	62.50
214				सिंगरेनी टीपीपी	1200.00
215	पूर्वी	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	राज्य क्षेत्र	अंडमान निकोबार डीजी	40.05
216		बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	बाढ़ II	1320.00
217				कहलगाँव टीपीएस	2340.00
218				मुजफ्फरपुर टीपीएस	415.00
219				नबी नगर टीपीपी	250.00
220			राज्य क्षेत्र	बरौनी टीपीएस	210.00
221		झारखण्ड	केंद्रीय क्षेत्र	बोकारो 'बी' टीपीएस	630.00
222				बोकारो 'ए' एक्स.	500.00
223				चंद्रपुरा (डीवीस) टीपीएस	760.00
224				कोडरमा टीपीपी	1000.00
225			निजी क्षेत्र	जोजोबेरा टीपीएस	360.00
226				महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540.00
227				मैथॉन आरबी टीपीपी	1050.00
228			राज्य क्षेत्र	पतरातु टीपीएस	455.00
229				तेनुघाट टीपीएस	420.00
230		ओडिशा	केंद्रीय क्षेत्र	तलचर (ओल्ड) टीपीएस	460.00
231				तलचर एसटीपीएस	3000.00
232			निजी क्षेत्र	डेरांग टीपीपी	1200.00
233				इंड बराथ टीपीपी	350.00
234				कमलगंगा टीपीएस	1050.00
235				स्टरलाइट टीपीपी	2400.00
236			राज्य क्षेत्र	आईबी वैली टीपीएस	420.00
237		पश्चिम बंगाल	केंद्रीय क्षेत्र	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000.00

238				दुर्गापुर टीपीएस	210.00
239				फरक्का एसटीपीएस	2100.00
240				मेजिया टीपीएस	2340.00
241				रघुनाथपुर टीपीपी	1200.00
242			निजी क्षेत्र	बज बज टीपीएस	750.00
243				चीनाकुरी टीपीएस	30.00
244				दिशेरगढ़ टीपीएस	18.00
245				हल्दिया टीपीपी	600.00
246				सिबपुर टीपीएस	8.38
247				साउदर्न रेप्ल. टीपीएस	135.00
248				टीटागढ़ टीपीएस	240.00
249			राज्य क्षेत्र	बकरेश्वर टीपीएस	1050.00
250				बंदेल टीपीएस	450.00
251				डी.पी.एल. टीपीएस	660.00
252				हल्दिया जीटी (द्रवित)	40.00
253				कस्बा जीटी (द्रवित)	40.00
254				कोलाघाट टीपीएस	1260.00
255				सागरदीघी टीपीएस	1600.00
256				संथालडीह टीपीएस	500.00
257				सिलिगुड़ी जीपीएस	20.00
258	पूर्वोत्तर	असम	केंद्रीय क्षेत्र	बोंगईगांब टीपीपी	250.00
259				कथालगुड़ी सीसीपीपी	291.00
260			निजी क्षेत्र	आदमटीला सीसीपीपी	9.00
261				बासखंडी सीसीपीपी	15.50
262			राज्य	चंद्रपुर (असम)	60.00
263				लकवा जीटी	142.20
264				नामरूप सीसीपीपी	181.25
265		मणिपुर	राज्य क्षेत्र	लीमाखोंग डीजी	36.00
266		त्रिपुरा	केंद्रीय क्षेत्र	अगरतला जीटी	135.00
267				मोनारचक सीसीपीपी	101.00
268				त्रिपुरा सीसीपीपी	726.60
269			राज्य क्षेत्र	बारामुरा जीटी	58.50
270				रोखिया जीटी	111.00
	अखिल भारत				215214.88

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.04.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5501 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में विभिन्न केंद्रीय/राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
1	यदाद्री टीपीएस (तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड)	तेलंगाना	राज्य क्षेत्र	4000
2	सिंगरेनी यूनिट-3 (सिंगरेनी कोलियरीज कं.लि.)	तेलंगाना	राज्य क्षेत्र	660
3	श्रीकाकुलम टीपीएस (आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.)	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	2400
4	मार्गेरिटा टीपीपी (असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.)	असम	राज्य क्षेत्र	660
5	गोधना टीपीपी (कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.)	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	1600
6	सिनोर टीपीपी यूनिट-2 (गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.)	गुजरात	राज्य क्षेत्र	800
7	दुवासान टीपीपी (गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.)	गुजरात	राज्य क्षेत्र	1600
8	पानीपत टीपीपी यू-9 (हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्प.लि.)	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	660
9	पतरातु टीपीएस एक्सपेंशन फेज-1 (झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि.)	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	2400
10	तेनुघाट टीपीएस एक्सपेंशन (तेनुघाट विद्युत निगम लि.)	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	1320
11	एदलापुर (कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.)	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	800
12	सतपुड़ा टीपीएस (मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कं.लि.)	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	1320
13	नासिक टीपीएस (महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कं.लि.)	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	660
14	भुसावल टीपीपी यू-6 (महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कं.लि.)	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	660
15	कामाख्या टीपीपी (ओडिशा थर्मल पावर कारपोरेशन लि.)	ओडिशा	राज्य क्षेत्र	2400
16	एन्नौर टीपीएस रिप्लेसमेंट (टैनजेडको)	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	660
17	उडानगुडी टीपीपी स्टे.-1	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	1320
18	उप्पुर टीपीपी	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	1600
19	ओबरा 'सी' टीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	1320
20	पनकी एक्स. (यूपीआरवीयूएनएल)	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	660
21	जवाहरपुर टीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	1320
22	सागरदीघी (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	660
23	बकरेश्वर टीपीपी (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	660
24	संथालडीह टीपीपी (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	1600
25	खुर्जा टीपीपी (टीएचडीसीआईएल)	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	1320
26	बिल्हौर टीपीपी (एनटीपीसी)	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	1320
27	बरेठी टीपीपी (एनटीपीसी)	मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	2640
28	पुडीमडका (एनटीपीसी)	आंध्र प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	4000
29	कटवा टीपीपी (एनटीपीसी)	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय क्षेत्र	1320
30	बिथनोक टीपीपी (एनएलसी)	राजस्थान	केंद्रीय क्षेत्र	250
31	सिरकली टीपीपी (एनएलसी)	तमिलनाडु	केंद्रीय क्षेत्र	4000
32	महानदी बेसिन पावर लि. द्वारा पिट हेड सुपर क्रिटिकल टीपीपी (एमसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	ओडिशा	केंद्रीय क्षेत्र	1600
33	पीरपैती टीपीपी (पीरपैती बिजली कंपनी प्रा.लि.) (एनएचपीसी एंड बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम)	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	1320
34	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन लि.)	बिहार	केंद्रीय क्षेत्र	1320

\*\*\*\*\*